संख्या: डब्ल्यू-11042/05/2013/जल

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

*****

9वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003
दिनांक 22 मई, 2014

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी राज्यों में प्रभारी ग्रामीण जल आपूर्ति

विषय: 14वें वित्त आयोग द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के बारे में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर मुझे इस पत्र के साथ दिनांक 19 मई, 2014 के अ.शा.पत्र संख्या 11016/13/2013/यूएफ/एफएफसी की प्रति के साथ 14वें वित्त आयोग द्वारा माँगी गई सूचना की मदों के सेट वाले अनुलग्नक की प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अनुलग्नक में उल्लिखित मद (5) और मद (9) के बारे में दिनांक 25-05-2014 तक फैक्स संख्या 011-24367671 पर अथवा ई-मेल mm.singh56@nic.in अथवा sriva1966@gmail.com पर 14वें वित्त आयोग के लिए उत्तर तैयार करने हेतू सूचना भिजवाएँ।

(एम.एम. सिंह)
निदेशक (जल)
दूरभाष: 011-24365418

प्रतिलिपि: तकनीकी निदेशक- इस पत्र को शीघ्र वेबसाइट पर डालने हेतू।

<u>अनुलग्नक</u>

1. राज्यों को आबंटित 15 प्रतिशत ओएंडएम निधियों के उपयोग के बारे में एक टिप्पणी जिसमें यह दर्शाया गया हो कि क्या उन्हे जल निगम/पीआरआई आदि को भेजा जा रहा है;
2. कुछ मॉडल राज्यों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव के बारे में अच्छी प्रथाओं के संबंध में एक टिप्पणी और इस संबंध में मंत्रालय के विचार कि उन्हें देश के अन्य भागों में किस प्रकार सफलतापूर्वक दोहराया जा सकता है;
3. कार्यान्वयन के अंतर्गत योजनाओं को पुन: डिजाइन करने की आवश्यकता, यदि अपेक्षित हो, के बारे में मंत्रालय के विचार कि इस संबंध में मंत्रालय आगे क्या कार्यवाही कर सकता है;
4. इस संबंध में एक टिप्पणी कि मंत्रालय द्वारा सीएसएस, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा प्रचालित किया जाता है, की किस प्रकार मॉनिटरिंग की जाती है और केंद्रीय और राज्य योजनाओं, दोनों के बारे में एक पूरी तस्वीर;
5. पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के प्रचालन और रख-रखाव के लिए अपेक्षित राज्य-वार निधियों के संबंध में एक टिप्पणी और उसके साथ इस उद्देश्य के लिए निधियाँ निर्धारित करने हेतू राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव;
6. मंत्रालय, देश में पेयजल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किस प्रकार प्लान बनाता है जिसमें भू-जल और इसकी उपलब्धता के प्रयोग के बारे में एक व्यावहारिक तस्वीर;
7. पेयजल एवं स्वच्छता के संदर्भ में कितने राज्यों ने व्यावहारिक रूप से एलबी को निधियों/कार्यों का अंतरण किया है, का विवरण;
8. पेयजल जैसी सार्वजनिक उपयोगिता का मूल्य तय करने से संबंधित एफएफसी के टीओआर के बारे में मंत्रालय के विचार; और
9. राज्यों में संभव विकल्पों और प्रत्येक विकल्प के लिए अपेक्षित निधियों की मात्रा के साथ पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र को एफएफसी किस प्रकार सहायता दे सकता है, के बारे में एक विस्तृत प्रस्ताव। ऐसा प्रस्ताव तैयार करते समय खपत करने की क्षमता के मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाए/समाधान किया जाए।